| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 10/7/2014 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br><br>**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**आपूर्त्ति अपील संख्या 28/2011**<br>**राजदेव राम बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा**<br><br>**आदेश**<br><br>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 204 दिनांक 13.1.11 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।<br><br>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.2010 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल के द्वारा राजदेव राम, जन वितरण विकेता, अनुज्ञप्ति सं0 78/07, ग्राम–चॉद कुदरिया, थाना–मशरक, प्रखंड–मशरक की दुकान के निरीक्षण के क्रम में निम्न अनियमितताएँ पाई गयी थीः<br><br>1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गयी तथा विकेता दुकान से अनुपस्थित था।<br>2. दुकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था।<br>3. विकेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मांगने पर भी विकेता के घर के अन्य सदस्यों द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।<br>4. विकेता के घर के अन्य सदस्यों द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विकेता के द्वारा जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीन/किरासन तेल का उपभोक्ताओं के बीच वितरण | |

न कर कालाबाजार में बेच दिया जाता है।

उक्त अनियमितताओं के आलोक में विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विकेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक है तथा उनके उपर लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता है।

विकेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से निम्न अनियमितताएँ दृष्टिगोचर होती बतलायी गयीः

1. विकेता अपने कारणपृच्छा के साथ कैशमेमो जमा नहीं किया है।
2. विकेता द्वारा सितम्बर एवं नवम्बर माह के किरासन तेल का उठाव 29वीं तिथि को किया गया है तथा इसका वितरण अगले माह के 03 तिथि तक दिखाया गया है।

   विकेता के किरासन तेल के उठाव एवं वितरण पंजी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह दृष्टीगोचर होता बतलाया गया है कि विकेता द्वारा जान–बूझकर किरासन तेल का उठाव माह के अंत में किया है तथा उसका वितरण अगले माह तक किया है। उनके द्वारा किसी एक माह के तेल का उठाव कर इसका वितरण उपभोक्ताओं के बीच न कर उसे कालाबाजार में बेच दिया जाता है।

   अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रायः उपभोक्ताओं से शिकायत प्राप्त होती है कि विकेता के द्वारा एक माह के तेल का वितरण कर दो माह का कूपन फाड़ लिया जाता है तथा विकेता के द्वारा एक माह के किरासन तेल के उठाव पर ही दो माह के वितरण में समायोजित किया जाता है। विकेता के द्वारा प्रत्येक माह के अंत में तेल का उठाव कर इसका वितरण दो माह में करने से आरोप की प्रथम दृष्टया पुष्टि होता बतलाया गया है। यह भी बतलाया गया है कि जहॉ तक अक्टूबर माह में आवंटन प्राप्त नहीं होने का प्रश्न है, उनका यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यदि उक्त माह का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ तो विकेता के द्वारा इसकी लिखित शिकायत वरीय पदाधिकारियों से करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।
3. सितम्बर माह के किरासन तेल के वितरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता बतलाया गया है कि किरासन तेल वितरण में फर्जी तरीके से वितरित की गई है। वितरण पंजी के फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण सितम्बर एवं नवम्बर के बहुत से उपभोक्ताओं के नाम के सामने हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान नहीं है तथा उनके द्वारा नवम्बर माह में कमांक 45 से 48 तक अलग–अलग उपभोक्ताओं के सामने

एक ही व्यक्ति के द्वारा पावती दर्ज किया गया है। इस प्रकार की अनियमितता कई जगहों पर दर्ज है। बिहार राशन/किरासन कूपन नियमावली 2006 के अनुसार कूपन अहस्तांतरनीय है।

4. इसी प्रकार की अनियमितता विकेता के द्वारा खाद्यान्न के वितरण पंजी में भी वरती गयी है। वितरण पंजी के अवलोकन से उपभोक्ताओं के अंगूठे एवं हस्ताक्षर भी संदेहास्पद प्रतीत होता बतलाया है, क्योंकि एक ही उपभोक्ता के द्वारा कई उपभोक्ताओं के नाम के आगे अंगूठे का निशान एवं हस्ताक्षर किया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विकेता के द्वारा खाद्यान्न की वितरण पंजी फर्जी तरीके से तैयार किया गया है।

विकेता के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों तथा जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन तथा विश्लेषणोपरान्त प्रमाणित होता बतलाया गया है कि विकेता के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001, बिहार राज्य कूपन योजना 2006, विभिन्न विभागीय दिशा–निदेशों एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तों का उल्लंघन किया गया है तथा जन वितरण प्रणाली की वस्तुओं के उठाव एवं वितरण में अनियमितता की गयी है।

बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, बिहार राज्य कूपन योजना 2006, अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गयी।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 8.12.2010 को अपराह्न 12.35 बजे अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा एवं अंचलाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा जॉच की गयी। उक्त प्रश्नगत तिथि को अपीलार्थी अपना खाद्यान्न का ड्राफ्ट जमा करने प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, मशरक जाने से पूर्व सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पूर्णरूप से संधारित कर दिया था। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी अपने परिवार का अकेला जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए अपनी दूकान से संबंधित कुल कागजात अपने ही जिम्मे रखता था। भंडार पंजी का चाभी अपीलार्थी अपने पास लेकर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय चला गया था। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी किरासन तेल एवं खाद्यान्न का उठाव नियमित रूप से करता था तथा उसका वितरण अपने उपभोक्ताओं के

बीच निश्चित रूप से सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य एवं मात्रा में करता था। यह भी बतलाया कि किरासन तेल सितम्बर एवं नवम्बर माह का अपने उपभोक्ताओं के बीच वितरण कर उसका कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा करा दिया था तथा उसकी प्राप्ति कारणपृच्छा के साथ संलग्न किया था। यह भी बतलाया कि बी.पी.एल. का खाद्यान्न माह अक्टूबर को अपीलार्थी अपने उपभोक्ताओं के बीच वितरण कर उसका कूपन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया था तथा उसकी प्राप्ति कारणपृच्छा के साथ संलग्न किया था। नवम्बर माह का चावल भंडार में था। गेहूँ का उठाव नहीं हुआ था, क्योंकि भंडार गोदाम में गेहूँ नहीं था। यह भी बतलाया कि अन्त्योदय का खाद्यान्न माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर का अपने उपभोक्ताओं के बीच वितरण कर उसका कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा है तथा उसकी प्राप्ति की छायाप्रति कारणपृच्छा के साथ संलग्न किया गया है। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी किरासन तेल का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी माह सितम्बर एवं नवम्बर की छायाप्रति कारणपृच्छा के साथ जमा किया है। बी0पी0एल0 खाद्यान्न का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी माह अक्टूबर की छायाप्रति कारणपृच्छा के साथ संलग्न किया था तथा अन्त्योदय खाद्यान्न का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर की छायाप्रति कारणपृच्छा के साथ संलग्न किया था। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी के द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर नियमित रूप से सभी संबंधित उपभोक्ताओं के बीच प्रस्तुत कूपन के आधार पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जाती थी, जिसका विवरण विक्री पंजी पर प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान के साथ अंकित है, जिसकी छायाप्रति अनुमंडल पदाधिकारी के अवलोकनार्थ स्पष्टीकरण के साथ दी गई थी। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी के दुकान से संबंधित किरासन तेल/खाद्यान्न कभी भी कालाबाजार में बेचने का प्रमाण नहीं है और न ही ऐसा कभी अपीलार्थी द्वारा किया गया है और न ही अपीलार्थी को किरासन तेल कालाबाजार में बेचते हुए पकड़ा गया है। केवल शंका के आधार पर अपीलकर्त्ता के विरूद्व कालाबाजारी करने का आरोप सिद्व नहीं होता है। यह भी बतलाया कि आवंटन प्राप्त होने पर अपीलार्थी संबंधित उपभोक्ताओं को उचित मूल्य, निर्धारित मात्रा एवं सही माप–तौल से किरासन तेल एवं खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर महीना के अंत में किरासन तेल का उठाव कालाबाजारी करने हेतु किया जाता है, जो गलत है। सही बात यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा थोक किरासन तेल विक्रेता को यह आदेश दिया गया था कि पंचायत के जन वितरण विक्रेताओं को महीना के

20 तारीख के बाद ही किरासन तेल की आपूर्ति की जाए। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसीलनोपरान्त पाया कि अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ अनुज्ञापन पदाधिकारी को कैशमेमो जमा नहीं किया गया था एवं सितम्बर तथा नवम्बर माह के किरासन तेल का उठाव 29वें तारीख को करके इसका वितरण अगले माह के तीसरी तारीख तक दिखाया गया है एवं इसके जवाब में अंकित किया गया है कि संबंधित आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा उसे महीने के 20 तारीख के बाद किरासन तेल का वितरण करने का आदेश दिया गया, लेकिन इससे संबंधित कोई भी कागजात अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जिससे यह पता चले कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा सही में इस तरह का कोई आदेश दिया गया था। किरासन तेल, वितरण पंजी के लिए अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि सितम्बर एवं नवम्बर में बहुत–से उपभोक्ताओं के नाम के सामने हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान नहीं है। नवम्बर माह में कमांक 45 से 48 तक अलग–अलग उपभोक्ताों के सामने एक ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्ति दर्ज किया गया है। इसी प्रकार की अनियिमतता विकेता के खाद्यान्न के वितरण पंजी में दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न बैठकों में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी हालत में वितरण अवधि में जन वितरण प्रणाली की दूकान बंद नहीं रहनी चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से जन वितरण प्रणाली की दूकान विकेता स्वयं उपस्थित रहने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वह दूकान की चाभी तथा दूकान से संबंधित सभी कागजात अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपकर दूकान छोड़ेगा। किसी भी स्थिति में जन वितरण प्रणाली की दूकान बंद नहीं रहनी चाहिए। अपीलार्थी के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, बिहार राज्य कूपन योजना 2006 अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितताआ बरतने के लिए अपीलार्थी राजदेव राम, अनुज्ञप्ति संख्या 78/07 ग्राम+पंचायत–चॉदकुदरिया, थाना–मशरक

| | | |
|---|---|---|
| | की अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को बहाल रखा जाता है।<br>वाद निष्पादित।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>जिला दंडाधिकारी,<br>सारण, छपरा<br><br>जिला दंडाधिकारी,<br>सारण, छपरा | |

ज्ञापांक 856 दिनांक 01/8/2014

प्रतिलिपि - SDO मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर भेजते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - NAC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।